इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना–14

(बिहार सरकार का एक स्वायतशासी संस्थान)

Tel.: 0612 – 2297631, 2297099; Fax: 0612 – 2297225; Website: www.igims.org

पत्रांकः दिनांकः

प्रेषक

संजय कुमार, वि0प्र0से0,
प्रशासी पदाधिकारी
इं0गाँ0आ0सं0, पटना

सेवा में

1.	प्रो0 (डॉ0) एन0 आर0 विश्वास, निदेशक इं0गाँ0आ0सं0, पटना।	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 (डॉ0) के0 एच0 राघवेन्द्र डीन, (परीक्षा) इं0गाँ0आ0सं0, पटना।	–	सदस्य
3.	प्रो0 (डॉ0) मनीष मंडल, चिकित्सा अधीक्षक–। इं0गाँ0आ0सं0, पटना।	–	सदस्य
4.	प्रो0 (डॉ0) रंजीत गुहा, उप–निदेशक (प्रशासन) इं0गाँ0आ0सं0, पटना।	–	सदस्य
5.	डॉ0 खालिद महमूद, एसोसिएट प्रोफेसर (यूरोलॉजी) इं0गाँ0आ0सं0, पटना।	–	सदस्य
6.	श्री संजय कुमार, प्रशासी पदाधिकारी इं0गाँ0आ0सं0, पटना।	–	सदस्य सचिव

विषयः– शिकायत निवारण समिति की दिनांक 04.12.2021 को आहुत बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन की प्रति का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 04.12.2021 को सम्पन्न शिकायत निवारण समिति की आहुत बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित की जा रही है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(संजय कुमार)

(26)

शिकायत निवारण समिति की दिनांक 04.12.2021 को आयोजित बैठक में संस्थान के पदाधिकारी/कर्मचारी से प्राप्त सेवा सम्बधी मॉग अभ्यावेदन पर जॉचोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार विमर्श किया गया । शिकायत निवारण समिति के विचारोपरांत मॉग सम्बंधी अभ्यावेदन पर लिए गये निर्णय निम्नवत है।

कम संख्या	परिवादी पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम	सेवा संम्बधी मॉग/समस्या	प्रशासी पदाधिकारी-II सह–सदस्य सचिव का प्रतिवेदन	शिकायत निवारण समिति का निर्णय
1.	श्री प्रवीण कुमार, निजी सहायक	देय प्रोन्नति की तिथि में सुधार करने के संबंध में।	अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री प्रवीण कुमार की नियुक्ति दिनांक 30.05.2012 एवं श्री सुजीत चार्ली की नियुक्ति दिनांक 16.05.2012 को आशुलिपिक के पद पर वेतनमान 5200–20200 + GP 2400 पर हुई थी। संस्थान के पत्रांक सं0–4251/प्रशा0 दिनांक 19.11.2015 के द्वारा यह सूचित किया गया था कि निजी सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति के बैठक दिनांक 20.11.2015 के अपराह्न 3 बजे निर्धारित की गई और उक्त आदेश में श्री विजय कुमार, श्री शमशीर आलम के साथ–साथ श्री प्रवीण कुमार एवं श्री सुजीत चार्ली को भी आशुलिपिक test (Hindi/English) में शामिल होने हेतु निदेश दिया गया। इस से स्पष्ट है कि सीमित विभागीय परीक्षा के लिए अनुमान्य नियम व शर्त के दायरे में आने के कारण ही श्री प्रवीण कुमार एवं श्री सुजीत चार्ली को परीक्षा में भाग लेने हेतु निदेशित किया गया था क्योंकि दिनांक 20.11.2015 को उन दोनों कर्मियों की सेवा अवधि तीन वर्षों से अधिक थी।	प्रतिवेदन से सहमत। **शिकायत निवारण समिति की अनुशंसा शासी निकाय की आगामी बैठक में रखी जाए शासी निकाय के अनुमोदन के उपरान्त संशोधित आदेश निर्गत किया जाएगा।**
2.	सुजीत चार्ली, निजी सहायक	देय प्रोन्नति की तिथि में सुधार करने के संबंध में।		

04/12/2021

4/12/21

(25)

			संचिका में अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 20.11.2015 को आयोजित Stenographer test में दोनो उपस्थित हुए जिसमें test एवं ACR के आधार पर निजी सहायक के रिक्त पदों में से मात्र दो पदों का Roster clearance प्राप्त होने के कारण वरीयता के आधार पर समिति के द्वारा सर्वसम्मति से श्री विजय कुमार एवं श्री शमशीर आलम को निजी सहायक के पद पर प्रोन्नति देने की अनुशंसा की गयी। श्री प्रवीण कुमार एवं श्री सुजीत चार्ली के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति ने Roster clearance होने के उपरांत निजी सहायक के पद पर प्रोन्नति देने की अनुशंसा की। इस सम्बंध में तत्कालीन कार्यवाह सहायक एवं वर्तमान में कनीय लेखा पदाधिकारी श्री प्रभात कुमार से आवश्यक पृच्छा की गयी। उन्होने संचिका के पृ0–02/टी0 पर अंकित किया है कि वर्ष 2015 में निजी सहायक का 04 (चार) पद स्वीकृत एवं रिक्त था। इस प्रकार पद रिक्त होने एवं विभागीय परीक्षा में उतीर्ण होने के बावजूद DPC की उक्त तिथि दिनांक 20.11.2015 से श्री प्रवीण कुमार एवं श्री सुजीत चार्ली को प्रोन्नत नहीं किया गया। पुनः 14.06.2016 को भी DPC की	

04/12/2021 Khalid 4/12/21 4/12/21 4/12/21

			दूसरी बैठक अनावश्यक रूप से बुलायी गयी जिसमें श्री प्रवीण कुमार एवं श्री सुजीत चार्ली की प्रोन्नति संबंधी मामले पर विचार किया गया। तदोपरांत संस्थान के पत्रांक सं0—538/प्रशा0 दिनांक 15.02.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की गई जबकि नियमानुसार उन्हें दिनांक 20.11.2015 को ही DPC की बैठक में प्रोन्नति योग्य पाया गया था। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री प्रवीण कुमार एवं श्री सुजीत चार्ली को प्रोन्नति देने हेतु सीमित विभागीय परीक्षा में आवश्यक अहर्ता को आधार बनाया गया किंतु उक्त समय इस हेतु जो विहित प्रक्रिया अपनायी जानी थी वो तत्कालीन प्रशासन शाखा द्वारा नहीं किया गया। संभवतः प्रक्रियागत जानकारी नहीं होने के कारण सीमित विभागीय परीक्षा के द्वारा चयन हेतु नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी होगी। इसे प्रक्रियागत चूक मानी जा सकती है। अतएव यह माना जा सकता है कि श्री प्रवीण कुमार एवं श्री सुजीत चार्ली को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही दिनांक 20.11.2015 को आहूत DPC की बैठक में प्रोन्नति देने की अनुशंसा की गयी थी। अतएव उपयुक्त वर्णित स्थिति एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर श्री	

			प्रवीण कुमार एवं श्री सुजीत चार्ली को दिनांक 15.02.2017 से दी गई प्रोन्नति की तिथि में सुधार करते हुए दिनांक 20. 11.2015 से ही प्रोन्नति देने के प्रस्ताव पर निदेशक महोदय/शिकायत निवारण समिति का आदेश व अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।	
3.	श्री नागेन्द्र कुमार, निजी सचिव	निजी सचिव के पद पर योगदान की तिथि में संसोधन के संबंध में।	नागेन्द्र कुमार के आवेदन की जाँच की गई। उन्होने निजी सचिव के पद पर योगदान की तिथि में संसोधन करते हुए दिनांक 20.07.2003 की प्रभावी तिथि से निजी सचिव के पद पर प्रोन्नति देने का अनुरोध किया है। नियमानुसार प्रोन्नति हेतु पदों का रिक्त होना नितांत आवश्यक है किंतु कार्यालय द्वारा बताया गया कि उक्त तिथि को निजी सचिव का कोई पद रिक्त नहीं था। श्री नागेन्द्र कुमार ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। अतएव उनका दावा नियमानुसार अनुमान्य नहीं है।	**सहमत।** **आवेदक नागेन्द्र कुमार का दावा/मॉग नियमानूकुल नही है एवं उनके मॉग आवेदन को निरस्त किया जाता है।**
4.	श्री राकेश कुमार, कार्यपालक अभियंता (विधुत)	कार्यपालक अभियंता (विधुत) द्वारा DPC की तिथि से प्रोन्नति देने के संबंध में।	श्री राकेश कुमार, कार्यपालक अभियंता (विधुत) के द्वारा DPC की तिथि से प्रोन्नति की माँग की गई है। पूर्व में उन्हें DPC की तिथि के उपरांत BOG द्वारा किये गये निर्णय के आलोक में तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति दिया गया था। नियमानुसार किसी कर्मचारी/पदाधिकारी	**सहमत।** **शिकायत निवारण समिति की अनुशंसा शासी निकाय की आगामी बैठक में रखी जाए शासी निकाय के अनुमोदन के उपरान्त संशोधित आदेश निर्गत किया जाएगा।**

			को देय प्रोन्नति DPC की तिथि से होता है और उक्त आलोक में इस संबंध में पूर्व में की गई कई विसंगतियों का निवारण संस्थान द्वारा किया गया है। अतएव नियमानुसार उनको दी गई प्रोन्नति की तिथि में तत्काल प्रभाव को सुधारते हुए DPC की तिथि दिनांक 14.03.2016 से ही प्रोन्नति देय होने के कारण संशोधित आदेश निकालने की जरूरत है।	
5.	डॉ0 अरविन्द कुमार शर्मा, विभागाध्यक्ष, दन्त विभाग	Pay protection एवं pen down strike के संबंध में।	इस संबंध में उनके मामलों की जाँच अधोहस्ताक्षरी द्वारा नहीं की गयी है। इसके लिए समय की आवश्यकता है। अतएव उनके अभ्यावेदन के आलोक में की गई माँग के संबंध में जाँच हेतु एक सप्ताह का समय प्रार्थित है। नियत समय में जाँच कर जाँचोपरांत प्रतिवेदन समर्पित किया जा सकेगा।	**सहमत।** **श्री संजय कुमार, बि0प्र0से0, प्रशासी पदाधिकारी–II को एक पक्ष के अंदर जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया जाता है।**
6.	सुश्री पूजा कुमारी, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक	कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक से वरीय प्रशासनिक सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के संबंध में।	पूजा कुमारी एवं अन्य से प्राप्त अभ्यावेदन में अनुरोध किया गया है कि AIIMS, New Delhi के नियमानुसार कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक के पद से वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति दिया जाये। इस संबंध में कार्यालय द्वारा बताया गया है विभागीय नियमानुसार आरक्षण हेतु रोस्टर गठन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। उपलब्ध 03 पद के विरूद्ध सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने पर विचार किया जा सकता है।	**सहमत।** **विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक से वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाए। प्रशासन शाखा तदनुसार कारवाई करे।**

04/12/2021 4/12/21 4/12/21 4/12/21

7.	श्रीमती सुनैना कुमारी, ऑफिस अटेंडेन्ट, Nursing College	ऑफिस अटेंडेन्ट से कनीय प्रशासनिक सहायक के पद पर प्रोन्नति देने के संबंध में।	श्रीमती सुनैना कुमारी एवं अन्य ऑफिस अटेंडेंट को सरकारी नियम के आलोक में कनीय प्रशासनिक सहायक के पद पर नियमित प्रोन्नति या सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर प्रोन्नति देने का निर्णय लेते हुए संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, प्रशासन शाखा को निदेश दिया जा सकता है।	**अनुकंपा नियुक्तृि के समय श्रीमती सुनैना कुमारी की शैक्षनिक अर्हता की पुनः जॉच की जाए एवं उक्त आलोक में प्रशासन शाखा कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु संसोधित आदेश निर्गत करने हेतु अग्रेतर कारवाई करे।**
8.	श्री रविन्द्र कुमार सिंह, वरीय प्रशासनिक सहायक	पूर्व की तिथि से नियमितीकरण करने के संबंध में।	श्री रविन्द्र कुमार सिंह को पूर्व की तिथि से नियमितीकरण करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायानय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न तिथियों में पारित आदेशों के अनुपालन के बिंदु पर प्रो0 (डा0) रंजीत गुहा, Principal, Medical College - सह – अध्यक्ष, प्रो0 (डॉ0) हरिहर दीक्षित, विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी विभाग –सह– सदस्य एवं श्री संजय कुमार, प्रशासी पदाधिकारी-II सह सदस्य सचिव की त्रि–सदसीय समिति गठित करते हुए माननीय विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन पर उक्त समिति ने जाँचोपरांत अपने जाँच प्रतिवेदन में माननीय विभिन्न न्यायालयों के पारित आदेश के अनुपालन के बिंदु पर संस्थान अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह या विधि विभाग या महाधिवक्ता से मंतव्य प्राप्त	**प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक मे माननीय विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के बिन्दु पर संस्थान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिह से वैधिक सलाह लेने की सहमति दी जाती है।**

04/12/2021 4/12/21 4/12/21 4/12/21

			करने का अनुशंसा किया है। उक्त आलोक में जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए संस्थान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह से अनुपालन के बिंदु पर मंतव्य की मांग की जा सकती है।	

श्री संजय कुमार, (बि0प्र0से0)
प्रशासी पदाधिकारी
इ0गॉ0आयु0सं0, पटना।

डॉ0 खालिद महमूद,
एसोसिएट प्रोफेसर (यूरोलॉजी)
इ0गॉ0आयु0सं0, पटना।

प्रो0 (डॉ0) रंजीत गुहा,
प्रिंसिपल/उप निदेशक (प्रशासन)
इ0गॉ0आयु0सं0, पटना।

प्रो0 (डॉ0) मनीष मंडल,
चिकित्सा अधीक्षक (I)
इ0गॉ0आयु0सं0, पटना।

प्रो0 (डॉ0) के0 एच0 राघवेन्द्र,
डीन (परीक्षा)
इ0गॉ0आयु0सं0, पटना।

प्रो0 (डॉ0) एन0 आर0 विश्वास,
निदेशक
इ0गॉ0आयु0सं0, पटना।